कार्यालय मुख्य वन संरक्षक, मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर

पत्रांकःसा0–3062 /मी0क्षे0/ 33 दिनांक, मीरजापुर, जनवरी, २१, 2021

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

विषयः– Proposal of Renewal for diversion of 185.84 ha of Forest Land in favour of M/s Northern Coalfields Limited for Coal Mining in Kakri Open Cast Coal Mining in Sonbhadra District in the State of Uttar Pradesh (Online No. FP/UP/MIN/29061/2017) reg.

संदर्भः– 1–भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय , इन्दिरा पर्यावरण भवन, जोर बाग अलीगंज नई दिल्ली का पत्र संख्या– 8–350/1987–एफ0सी0(Vol) दिनांक– 01.09.2020

2– आपका पत्र संख्या– 477/11–सी– FP/UP/MIN/29061/2017 लखनऊ दिनांक– 02.09.2020

महोदय,

विषयगत प्रकरण में संदर्भित पत्रो का अवलोकन करने की कृपा करें । भारत सरकार के संदर्भित पत्र दिनांक–01.09.2020 द्वारा2020 द्वारा की गयी पृच्छाओ के संबंध में आख्या उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया है । उक्त के आलोक में प्रभागीय वनाधिकारी रेनुकूट, ने अपने कार्यालय के पत्र संख्या–2160/रेनुकूट/15–94 दिनांक 30.12.2020 (प्रति संलग्न) द्वारा बिन्दुवार सूचना/अभिलेख टेबुलर फार्म में निम्नानुसार संस्तुति सहित इस कार्यालय को प्रेषित किया है ।

क्र0 सं0	भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय , इन्दिरा पर्यावरण भवन, जोर बाग अलीगंज नई दिल्ली का पत्र संख्या– 8–350/1987–एफ0सी0(Vol) दिनांक– 01.09.2020 में अंकित विवरण	अनुपालन आख्या
1	2	3
i	The clear recommendation of CCF has not been provided in Part-III; as well as on the basis of improper recommendation of CCF the proposal has been recommended by Nodal Officer. Therefore, recommendation of the C.C.F. & Nodal Officer needs a review. They are required to submit clear recommendations and the recommendations shall be on agreeing renewal proposal or not in specific "Yes" or "No". Reasons for agreement/disagreement shall also be cited with the proposal;	इस बिन्दु के अनुपालन में अवगत कराना है कि प्रश्नगत प्रकरण में लीज रेंट की देयता के सम्बन्ध में वन विभाग की ओर से माननीय उच्चमृन्यायालय नई दिल्ली के समक्ष दाखिल विशेष अनुज्ञा याचिका संख्या सिविल (सी) 22793/2013 व परिवर्तित अपील सिविल नम्बर 7614/2014 उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य बनाम नार्दन कोल्ड फील्डस लि0 माननीय उच्चतम् न्यायालय नई दिल्ली के समक्ष विचाराधीन है। माननीय उच्चतम् न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा पारित अन्तिम निर्णय के आलोक में नवीनीकरण हेतु संस्तुति की जाती है।
ii	DFO, Renukoot vide their letter no. 2869/रेनुकूट/15-38 dated 13.02.2019 had reported violation of section 2 of FCA, 1980 in this matter. The details about specific issues pertaining to contravention of section 2 of FCA,date of violation, extent of violation, officials responsible for violation, any other information relevant to this proposal shall be submitted;	इस बिन्दु के अनुपालन में अवगत कराना है कि रेनुकूट वन प्रभाग के पत्र संख्या– 2869/रेनुकूट/15–38 दिनांक– 13.02.2019 में उल्लिखित उल्लंधन का प्रकरण लीज पर हस्तान्तरित 185.84 हे0 लीज भूमि से **अलग भूमि का है** जिसके संबंध में वस्तु स्थिति प्रभाग के अन्तिम पत्र संख्या– 3905/रेनुकूट/15–38 दिनांक– 18.05.2020 द्वारा स्पष्ट करते हुए रिपोर्ट उच्च स्तर पर प्रेषित की गयी है ।
iii	The State Government has not submitted the complete compliance of the Ministry's earlier approval vide order no. 8-350/1987-FC dt. 30.05.1989;	इस बिन्दु के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तुत अनुपालन आख्या सत्यापित करते हुए इस पत्र के साथ **संलग्न कर प्रेषित है** ।

iv	Site Inspection Report of the concerned CCF has not been submitted with the proposal which is mandatory as proposed renewal of lease is having extent >40 ha;	इस बिन्दु के अनुपालन में अवगत कराना है कि प्रश्नगत प्रस्ताव के भाग–3 के साथ निरीक्षण टिप्पणी संलग्न किया गया है।
V	The NOC from other land owning agencies other than State Forest Department (if any) has not been submitted with the proposal;	इस बिन्दु के अनुपालन में अवगत कराना है कि प्रश्नगत परियोजना में 185.84 हे0 वन भूमि के अतिरिक्त अन्य कोई भूमि सम्मिलित नही है इस कारण अन्य एजेंसी से अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्राप्त किया जाना अपेक्षित नही है ।
Vi	The State Government has not clarified wheather the Environmental Clearance issued vide order dt. 11.05.2005 is valid for the instant proposal or not;	इस बिन्दु के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अवगत कराया गया है कि उनके द्वारा MOEF&CC पर ऑनलाइन प्रस्ताव संख्या– IA/UP/CMIN/114168/2019 प्रस्तुत किया गया है जो वर्तमान में विचाराधीन है । पुष्टि हेतु **अभिलेख संलग्न है** ।
Vii	The State Government has not submitted the valid lease documents for the instant proposal;	इस बिन्दु के अनुपालन में अवगत कराना है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा पूर्व में पट्टाविलेख उपलब्ध कराया गया था जो कतिपय कारणो से अनुमोदित नही हो पाया । उ0प्र0 शासन के आदेश संख्या– 454/81–2–2020 ,पर्यावरण वन एवं जलवायु परितर्वन अनुभाग–2 लखनऊ दिनांक– 28 मई 2020 (**छाया प्रति संलग्न**) द्वारा वन भूमि हस्तान्तरण के समस्त प्रकरणो मे Transfer of property Act 1882 के तहत संशोधित पट्टाविलेख उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया । उक्त निर्देश के क्रम में प्रभाग द्वारा विभिन्न पत्रो के माध्यम से एन0सी0एल0 की ककरी परियोजना से संशोधित पट्टाविलेख उपलब्ध कराने हेतु अनुरोध किया गया उक्त अनुरोध के क्रम में महाप्रबन्धक, नार्दन कोल फील्डस लि0 ककरी परियोजना ने अपने पत्र संख्या– ककरी/महाप्रबन्धक/वन/2020/464 दिनांक– 12.08.2020 (**छाया प्रति संलग्न**) द्वारा माननीय उच्च न्यायालय इलाहावाद के रिट याचिका संख्या– 33050/2010 में पारित अन्तरिम आदेश दिनांक– 14.07.2010 के आधार पर पट्टाविलेख के निष्पादन संबंधी कार्यवाही को स्थगित करने हेतु अनुरोध किया गया । माननीय उच्च न्यायालय इलाहावाद द्वारा रिट याचिका संख्या– 33050/2010 में पारित अन्तरिम आदेश दिनांक– 14.07.2010 के संबंध में वस्तु स्थिति निम्नानुसार है :– " जनपद–मीरजापुर, वर्तमान में सोनभद्र जिले में दुद्धीचुआँ एवं खड़िया कोयला परियोजनाओ हेतु 1305 हे0 वन भूमि भारत सरकार के पत्र संख्या– 8–298/87–एफ0सी0 दिनांक–30.07.1990 एवं इसके क्रम में विशेष सचिव, उ0प्र0 शासन के पत्र संख्या– एल 1319/14–3–929/87 वन अनुभाग–3 लखनऊ दिनांक– 04.01.1991 द्वारा 40 वर्षो हेतु लीज पर दी गयी है । उक्त आदेश के अनुपालन में पट्टाविलेख

		की प्रति उच्च स्तर पर प्रेषित की गयी । पट्टाविलेख के निष्पादन के संबंध में उच्च स्तर से कुछ अभिलेखो की मॉग की गयी जिसे उपलब्ध कराने हेतु इस कार्यालय के विभिन्न पत्रो द्वारा नार्दन कोल फील्डस लि0 की दुद्धीचुआॅ एवं खड़िया परियोजना से अनुरोध किया गया किन्तु एन0सी0एल0 के स्तर से अभिलेख उपलब्ध न कराये जाने पर कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी रेनुकूट वन प्रभाग के पत्र संख्या– 4021/रेनुकूट/15–39 दिनांक– 08.04.2010 द्वारा डम्पिंग कार्य पर रोक लगा दी गयी । प्रभागीय वनाधिकारी रेनुकूट के उक्त पत्र दिनांक–08.04.2010 से क्षुब्ध होकर एन0सी0एल0 द्वारा माननीय उच्च न्यायालय इलाहावाद के समक्ष रिट याचिका संख्या– 33050/2010 दाखिल किया गया । उक्त रिट याचिका में माननीय उच्च न्यायालय इलाहावाद द्वारा दिनांक– 14.07.2010 को स्थगन आदेश जारी किया गया है "। उक्त आदेश केवल एन0सी0एल0 की दुद्धीचुआॅ एवं खड़िया परियोजना हेतु ही लागू है इसका उल्लेख करते हुए प्रभाग द्वारा एन0सी0एल0 की ककरी परियोजना से संशोधित पट्टाविलेख उपलब्ध कराने हेतु अनुरोध किया गया किन्तु एन0सी0एल0 की ककरी परियोजना द्वारा माननीय उच्च न्यायालय इलाहावाद द्वारा पारित उक्त अन्तरिम आदेश दिनांक– 14.07.2010 ककरी परियोजना पर भी लागू होने का उल्लेख करते हुए संशोधित पट्टाविलेख उपलब्ध नही कराया जा रहा है जो उ0प्र0 शासन द्वारा वन भूमि हस्तान्तरण के संबंध में जारी मूल आदेश दिनांक–28.12.1989 व वर्तमान में जारी संदर्भित आदेश दिनांक– 28 मई 2020 का उल्लंधन है
Viii	The state Government has not submitted details i.e. kml file with respect to the CA land where plantation has been carried out as per approval order no. 8-350/1987-FC dt. 30.05.1989;	इस बिन्दु के अनुपालन में अवगत कराना है कि प्रश्नगत परियोजना में प्रभावित 185.84 हे0 वन भूमि के बदले 189.84 हे0 गैर वन भूमि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी वन एवं वन्य जीव प्रभाग हरदोई उत्तर प्रदश में उपलब्ध करायी गयी है । उपलब्ध करायी गयी 189.84 हे0 गैर वन भूमि को उ0प्र0 शासन के शासनादेश संख्या– 3185/14–2–91/97/1991 दिनांक– 06.12.1991 द्वारा संरक्षित वन धोषित की जा चुकी है जिसकी पुष्टि हेतु प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी वन प्रभाग हरदोई का पत्र संख्या– 3975 दिनांक– 08.04.1994 की प्रति वन भूमि हस्तान्तरण से संबंधित नवीनीकरण प्रस्ताव के पृष्ठ संख्या– 22 पर संलग्न है । उक्त गैर वन भूमि से संबंधित जी0ओ0रेफरेन्स मानचित्र टोपाशीट एवं के0एम0एल0फाइल की सी0डी0 **संलग्न है** ।

lx	As per the DSS analysis report, the following shortfalls has been observed:	इस बिन्दु के अनुपालन में प्रश्नगत परियोजना में प्रभावित 185.84 हे0 वन भूमि से संबंधित सशोधित जी0ओ0रेफरेन्स मानचित्र, टोपोशीट एवं के0एम0एल0 फाईल की सी0डी0 **संलग्न है ।**
a.	The calculated area of proposed diversion as per kml file submitted is found to be 183.91 ha whereas applied area for diversion in the renewal proposal is 185.84 ha;	
b.	As per Sol Map, some portion of Forest land applied for renewal is falling in the state of Madhya Pradesh;	
c.	A shift of Forest KML boundary applied for renewal has been observed w.r.t. location forest patch i.e. 185.84 Ha as shown in Sol Map;	
d.	Sol Map shows some Forest patches are not covered in the Forest land i.e. 185.84 ha applied for renewal.	

अतः प्रभागीय वनाधिकारी, रेनुकूट द्वारा प्रश्नगत मामले में प्रेषित उपरोक्त बिन्दु की आख्या संस्तुति सहित एतद्सह संलग्नकर आवश्यक अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित।

संलग्नक–उपरोक्तानुसार

भवदीय

(रमेश चन्द्र झा)
मुख्य वन संरक्षक
मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर

संख्या– 3062 अ/समदिनांक।

प्रतिलिपिः प्रभागीय वनाधिकारी, रेनुकूट को उनके कार्यालय के संख्या–2318/ रेनुकूट /15–38 दिनांक 12.01.2021 के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

(रमेश चन्द्र झा) 21/01
मुख्य वन संरक्षक
मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर

भाग–III

(संबंधित वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

11	क्या वह स्थल जहाँ का वन क्षेत्र इसमें शामिल है का संबंधित वन संरक्षक द्वारा निरीक्षण किया गया है(हॉ/नही) यदि हॉ तो निरीक्षण की तारीख और प्रेक्षण जो निरीक्षण रिपोर्ट में किए गए है को संलग्न करें ।	नही। (दिनांक 13.8.2019 को स्थलीय निरीक्षण टिप्पणी संलग्न है।
12	क्या संबंधित वन संरक्षक भाग–ख में दी गई सूचना और उप वन संरक्षक की सिफारिशो से सहमत है ।	हॉं।
13	विस्तृत कारणो के साथ प्रस्ताव की स्वीकृति या अन्यथा के लिए संबंधित वन संरक्षक की विशेष सिफारिशें ।	प्रभागीय वनाधिकारी रेणुकूट द्वारा भाग-2 में उल्लिखित के आलोक में प्रस्तावित प्रस्ताव पर आवश्यक अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित। इस कार्यालय के पत्रांक 2220/सी-33 दिनांक 14-11-2019 के बिन्दु सं० 15 में दिये गये अनुपालन आख्या के अनुसार संस्तुति की जाती है।

मुख्य वन संरक्षक
मीरजापुर क्षेत्र
मीरजापुर

तारीख – 16-07-2019
स्थान- मीरजापुर

सहायक वन संरक्षक/प्रभारी
अनपरा रेंज-
रेणुकूट वन प्रभाग-सोनभद्र

हस्ताक्षर
नाम
सरकारी मोहर

निरीक्षण टिप्पणी

प्रस्ताव संख्या एफ.पी./यू.पी./माइन्स/29061/2017 पर जनपद सोनभद्र में रेनुकूट वन प्रभाग अन्तर्गत नार्दन कोल फील्ड्स लिमिटेड की ककरी परियोजना को लीज़ पर हस्तान्तरित 185.84 हे0 वन भूमि के लीज नवीनीकरण प्रस्ताव के सम्बन्ध में–

दिनांक 13.08.2019 को उप प्रभागीय वनाधिकारी पिपरी रेनुकूट वन प्रभाग एवं नार्दन कोल फील्ड्स लिमिटेड ककरी परियोजना के अधिकारियों के साथ प्रस्तावित क्षेत्र का निरीक्षण किया गया । निरीक्षण के दौरान प्रस्ताव में संलग्नक प्रभागीय वनाधिकारी रेनुकूट का संयुक्त निरीक्षण प्रमाण पत्र में उल्लिखित 185.84 हे0 वन भूमि को पुनः नवीनीकरण हेतु प्रस्तावित है। वह प्रस्तावित क्षेत्र की मॉग न्यूनतम एवं अपरिहार्य पायी गयी है।

(रमेश चन्द्र झा)
मुख्य वन संरक्षक
मीरजापुर क्षेत्र मीरजापुर